

प्रपत्र —२

जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय—राँची

संख्यांक ३४।

तारीख २०.०५.२०२०

प्रबंधक,

**संत जॉन रङ्गुल (इंडिलेन्ड मीडियम)
कर्बला ईन्ड रोड पी० आ० पी० आ० शैंची**

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए इारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।


प्रसंग-- जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक दिनांक ०७.०३.२०२० में लिये गये निर्णय।
महोदय / महोदया,

सुपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विद्यालय—
संत जॉन रङ्गुल (इंडिलेन्ड मीडियम) निःशुल्क साथ हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर विद्यालय संत जॉन रङ्गुल इंडिलेन्ड मीडियम राँची को शैक्षणिक सत्र के २०१९-२०२० से कक्षा १ (एक) से ८ (आठ) तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है-

1. इस मान्यता से किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ एवं इारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को लागू करगा होगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस—पास के कमज़ोर एवं अभिवृच्छित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका —३ में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम धारा—१२ की उपधारा (२) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता रेखारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैप्टेनशिप लुप्त करने नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता—पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग ट्रेस्ट नहीं होगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी असु वा सबूत नहीं होने के कारण, प्रदेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा १५ के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगे—

(क) प्रदेश हिए या किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में असुतौष्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कारित नहीं किया जायेगा।

(ख) किसी भी बालक को शारीरिक दड नहीं दिया जायेगा।



- (ग) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा।
- (घ) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं निमयावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण-पत्र पदान किया जाएगा।
- (ङ) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
- (च) संबंधित विद्यालय अपने पास-पड़ोस के १ से ५ कि०मी० के परिधीय क्षेत्र के कम से कम ८० प्रतिशत बालकों का आर०टी०ई० अंतर्गत २५ प्रतिशत नामांकन सहित अपने विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करेगा।
- (छ) विद्यालय अपने मुख्य प्रवेश एवं निकास (Entrance and Exit) द्वारा, जो मुख्य अथवा सहायक पथ पर पड़ते हैं, उसे आम आवागमन के लिए बाधित नहीं किये जाने की जबाबदेही लेंगे तथा इस हेतु पूर्व से ही आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था करेंगे।
- (ज) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३(१) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अहर्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा उनके पास उनके निर्धारित न्यूनतम अहर्ता, अधिनियम २००९ के लागू होने के समय नहीं है, तीन वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ अर्ज कर लेंगे।
- (झ) अध्यापक, अधिनियम की धारा २४(१) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
- (ञ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा १९ में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
9. विद्यालय में अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-
- I) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - **४.५ एकड़**
 - II) कुल निर्मित क्षेत्रफल - **१०९७५८ एकड़० फी२**
 - III) क्रीड़ा -स्थल का क्षेत्रफल - **८५७२४ एकड़० फी२**
 - IV) कक्षाओं की संख्या- **१९**
 - V) प्राध्यापक—सह—कार्यालय—भड़ागार के लिए कक्ष - **०१**
 - VI) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - बालक- **३०** / बालिका- **२०**
 - VII) पेयजल सुविधा - **हेंड्र पम्प स्व० २८५ कार्ट की सुविधा**
 - VIII) मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय) - **लाइन -८१**
 - IX) बाधारहित पहुँच - **उपलब्ध** - **१**
 - X) अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर्ता / पुस्तकालय की उपलब्धता- उपलब्ध
10. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कौला-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।



12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
14. विद्यालय ऐसी प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय—समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपैक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
15. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत उसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।
16. विद्यालय के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम २००९, झारखण्ड के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधीकार अधिनियम नियमावली २०११ एवं विद्यालय को विभागीय अधिसूचना संख्या— ६२९ दिनांक २५.०४.२०१९ में अंकित प्रावधानों एवं शर्तों को लागू करना होगा।
17. विद्यालय एवं उससे संबंधित भूमि का राही—सही विवरण उपलब्ध कराने/ अभिलेख संघारण/ उसके नियमानुकूल अथवा वैधानिक रूप से क्य/ हस्तान्तरण/ प्राप्ति की पूरी—पूरी जवाबदेही संबंधित विद्यालय एवं उसके सोसाईटी की है एवं होगी। अतएव यदि भविष्य में इससे संबंधित कोई विवाद/ वाद/ माननीय न्यायालय वाद/ अपराधिक वाद उत्पन्न होता है तो विभाग/ सरकार/ जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। इसकी पूरी—पूरी जवाबदेही संबंधित विद्यालय की प्रबन्ध समिति एवं उसकी सोसाईटी की होगी।

(यह आदेश उपायुक्त, रॉची की अध्यक्षता में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति को बैठक दिनांक ०७.०३.२०२० में लिये गये निर्णय के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।)

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या २०२०-००८/२०२०-२१ है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए संरचाक का उल्लेख किया जाये।

विश्वासाभाजन

१६.५.२०

जिला शिक्षा अधीक्षक,

रॉची।

वि.छं४
२०.०५.२०

[Signature]
MANAGER
ST. JOHN'S SCHOOL
KARBALA TANK ROAD
RANCHI-834001, JHARKHAND

ATTESTED
[Signature]
THE PRINCIPAL
ST. JOHN'S SCHOOL
KARBALA TANK ROAD
RANCHI-834001, JHARKHAND